



मध्याचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड  
(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)  
कार्यालय अधिशासी अभियन्ता  
विद्युत वितरण खण्ड-लम्मुआ  
सुलतानपुर

Email ID: eddlambhua@gmail.com

पत्रांक 30/2023-24/वि०वि०ख०-ल०(सु०)/ टी०सी०  
विषय: टी०सी० की धनराशि जमा कराने हेतु।

CIN: U31200UP2003SGC027459

/दिनांक 05/01/2024

सेवा में,

श्री धर्मराज पाण्डेय पुत्र रामदूलार पाण्डेय  
ग्राम- बेलाही लम्मुआ, सुलतानपुर।

आवेदन सं०-1008357008 पी०टी०डब्लू० पोर्टल पर

आपको सूचित किया जाता है कि 05 एच०पी० निजी नलकूप (एल०एम०वी०-5) के विद्युत संयोजन हेतु भार स्वीकृत सं०-51223 दिनांक 05.12.2023 देने में अंकन रू० 5414.00 मात्र का प्राक्कलन स्वीकृत किया गया है। उक्त संयोजनों को देने हेतु निम्नलिखित धनराशि व्यय होगी।

कृपया आपसे निवेदन है कि इस टी०सी० में अंकित निम्नलिखित धनराशि इस कार्यालय में इस पत्र पर अंकित तिथि से तीन महिने के अन्दर जमा कर दें अन्यथा समझा जायेगा कि आप उक्त संयोजन लेने के इच्छुक नहीं हैं, जिसके अनुसार उक्त भार की स्वीकृती रद्द कर दी जायेगी तथा प्रकरण शुल्क धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

क्रम सं०	विवरण	योग(रू०)
1.	इस्टीमेट चार्ज	रू० .....
2.	मीटर चार्ज	रू० 2921.00
3.	सर्विस कनेक्शन चार्ज	रू० 993.00
4.	प्रतिभूति राशि (सिक्वोरिटी)	रू० 1500.00
5.	लेबर सेष 1 प्रतिशत	रू० .....
		रू० 5414.00

उपरोक्त धनराशि को पी०टी०डब्लू० पोर्टल पर आनलाइन जमा करे साथ ही निम्न अभिलेखों एवं दो गवाहों के साथ किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय में उपस्थित होकर अनुबन्ध की कार्यवाही पूर्ण करें।

क-बी० एण्ड एल० फार्म की तीन प्रतियां।

ख-निरीक्षण भुल्क(ट्रेजरी चालान द्वारा)।

ग-नान जुडिशियल स्टाम्प पेपर (रू 100.00)

घ-अन्तिम भुगतान रसीद की छायाप्रति।

1-उक्त इकाई के लाइन निर्माण रेसो,उ०प्र०पा०का०लि० लखनऊ के मानकों के अनुसार ही होगा।

2-लाइन निर्माण के समय कोई भी स्थानीय विवाद उत्पन्न होने पर उपभोक्ता स्वयं जिम्मेदार होगा।

3-उक्त संयोजन पर मीटर लगाने के उपरान्त ही संयोजन ऊर्जाकृत किया जायेगा।

4-प्राक्कलन में अंकित सामग्री का मूल्य पुनरीक्षित होने एवं लाइन निर्माण सामग्री संख्या में परिवर्तन होने की दशा में पुनरीक्षित टी०सी० निर्गत की जायेगी।

5-अनुबन्ध की कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त ही संयोजन निर्गत किया जायेगा एवं किसी विलम्ब के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

6-उक्त संयोजन पर मीटर लगाने हेतु मीटरिंग रूम का निर्माण होने के पश्चात ही संयोजन ऊर्जाकृत किया जायेगा।

(जगदीश पटेल)  
अधिशासी अभियन्ता

पत्रांक...../वि०वि०ख०-ल०(सु०)/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. उपखण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण उपखण्ड, लम्मुआ/चांदा सुलतानपुर।
2. अनुबन्ध लिपिक, विद्युत वितरण खण्ड-लम्मुआ।
3. कैशियर (राजस्व), विद्युत वितरण खण्ड-लम्मुआ।
4. लेखाकार (राजस्व), विद्युत वितरण खण्ड-लम्मुआ।

(जगदीश पटेल)  
अधिशासी अभियन्ता